डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि.पू.भु.-04 भोपाल-03-05.

पंजी.
म. प्र.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 77] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च 2004—फाल्गुन 15, शक 1925

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2004

क्र. एफ. 1-40-2002-बयालीस-1.—मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा में भर्ती और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भरती) नियम, 2004 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषायें.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ऐसे व्यक्तियों के, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर अनुसूची-दो के कॉलम 3 से 7 में वर्णित पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों, संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है सरकार तथा अनुसूची-दो के कॉलम 8 से 12 में दर्शित ऐसे पदों के, जो सोसाइटी को अंतरित किये गये हैं, संबंध में अभिप्रेत है सोसाइटी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स;

(ख) "ए. आई. सी. टी. ई." से अभिप्रेत है आल इंडिया काउन्सिल फार टेकनीकल एजूकेशन एक्ट, 1987 (1987 का सं. 52) के अधीन स्थापित आल इंडिया काउन्सिल फार टेकनीकल एजूकेशन;

(ग) ''बोर्ड ऑफ गवर्नर्स'' से अभिप्रेत है सोसाइटी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स;

(घ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) ''संस्थान'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 50-5-96-बयालीस-1, दिनांक 29 मई, 1997 के द्वारा घोषित स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय;

(च) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5-25-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथा विनिर्दिष्ट कोई वर्ग, जाति या वर्ग/जाति के भीतर का कोई भाग या समूह;

(छ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों में वर्णित विभिन्न अनुसूचियां;

(ज) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूल वंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति; मूल वंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(झ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ञ) ''चयन समिति'' से अभिप्रेत है अनुसूची-तीन में उल्लिखित चयन समिति;

(ट) ''सेवा'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा;

(ठ) ''सोसाइटी'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन यथा रजिस्ट्रीकृत इंजीनियरिंग महाविद्यालय की सोसाइटी.

3. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से धारण कर रहे हों, डाइंग काडर का गठन करेंगे;

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों को प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(ग) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

4. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु आदि होने पर सरकारी सेवकों द्वारा त्यागे गये पद इंजीनियरिंग महाविद्यालय की सोसाइटी को अंतरित हो जायेंगे.

5. **भरती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, सीधी भर्ती के माध्यम से चयन द्वारा की जायेगी;

(2) उपनियम—(1) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्त्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-तीन में दर्शाये गये पदों के प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी;

(3) उपनियम-(1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी यदि इंजीनियरिंग महाविद्यालय की सोसाइटी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो सोसाइटी, सरकार की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट किए गए सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न भर्ती का ऐसा तरीका अपना सकेगी, जैसा वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करें.

6. **सेवा में नियुक्ति.**—नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां करेगा और ऐसी नियुक्तियां, नियम-5 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं.

7. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**—चयन के समय प्रतियोगिता में पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

(1) आयु (क) उसने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची-तीन के कालम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी,

(एक) ऐसे अभ्यर्थी को, जो "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण.—"पद छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या संघटक इकाइयों में से किसी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर रहा था तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था.

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण.—पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु, अन्यथा, आवेदन देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई थी या उसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था.

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊंट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया हो, और जिन्हें, :—

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर,

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर,

सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी,

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं) जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों.

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों के विरुद्ध छह माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो,

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो,

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं रहे,

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(ङ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(च) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य के निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु-सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी;

(छ) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु-सीमा 55 वर्ष होगी;

(ज) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) आदिमजाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन स्कीम के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ञ) "विक्रम पुरस्कार धारक" अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ट) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना (होमगार्ड) के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु-सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये.

2. **शैक्षणिक अर्हताएं.**—उनके पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जो अनुसूची चार में सेवा के लिये विहित की गई हैं.

3. **फीस.**—उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

टिप्पण:—(1) विभागीय अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिए उपस्थित होने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी.

(2) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

(3) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

8. निरर्हता.—अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे चयन के लिये निरर्हित करेगा.

9. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय.**—चयन के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चिय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने दिया जायेगा.

10. **चयन द्वारा सीधी भर्ती.**—(1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर अवधारित करें.

(2) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा लिखित परीक्षा तथा/या साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा.

(3) अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट विभिन्न पदों पर नियुक्ति, आरक्षण संबंधी विधि या नियमों के द्वारा शासित होगी, जैसे :—

(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये पदों को आरक्षित रखा जायेगा. इस प्रयोजन के लिये रोस्टर का संधारण संस्थान के स्तर पर किया जायेगा.

(ख) महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार लागू होगा.

(ग) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण लागू होगा.

11. **नियुक्ति के लिये सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**—(1) चयन समिति, ऐसे अभ्यर्थियों की, जो विशिष्ट सेवा/पद के लिये ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करें, योग्यता के क्रम से बनाई गई सूची संबंधित इंजीनियरिंग महाविद्यालय के नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी. चयन किए गए अभ्यर्थियों की सूची सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायगी.

(2) चयन समिति विभिन्न संवर्ग यथा सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग आदि के अभ्यर्थियों की पृथक्-पृथक् सूची तैयार करेगी.

(3) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों पर उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में आये हों.

(4) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही नियुक्ति का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(5) चयन सूची, संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा इसके अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी.

12. **सेवा की शर्तें.**—(1) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी भर्ती अनुसूची-तीन में दर्शाये गये मूल पद यथा व्याख्याता, प्रोग्रामर, सहायक कर्मशाला अधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के रूप में हुई हों, प्रारंभ में तीन वर्षों की कालावधि के लिये संविदा पर नियुक्त किया जाएगा. इस कालावधि के पूर्ण होने पर, सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के कार्य का पुनर्विलोकन किया जाएगा तथा यदि उपयुक्त पाया जाये तो उसे नियमित नियुक्ति प्रस्तावित की जाएगी.

(2) सोसाइटी, अनुसूची-दो में दर्शाये गये रीडर, कर्मशाला अधीक्षकों, प्रोफेसरों तथा प्राचार्यों के पदों पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियमित नियुक्ति कर सकेगी.

(3) इन नियमों के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति का आचरण, समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा.

(4) इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पेंशन तथा उससे संबंधित अन्य फायदों के लिये हकदार नहीं होगा. यद्यपि ऐसे व्यक्तियों का, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर अनुसूची-दो में उल्लिखित पदों को मूल रूप से धारण करते हैं, उच्च पदों पर चयन होने पर उस पद के, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति हुई है, पेंशन संबंधी फायदों के हकदार होंगे.

(5) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं, किसी भी पक्ष द्वारा एक मास की सूचना या उसके स्थान पर एक मास के वेतन का भुगतान करने पर, संविदा/परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पूर्व भी समाप्त की जायेगी.

(6) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति उन कर्मचारियों के समान चिकित्सा सुविधाओं के फायदे तथा यात्रा भत्ता का हकदार होगा, जिसके लिये राज्य सरकार में उनके समतुल्य संवर्ग के कर्मचारी हकदार हैं.

(7) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा विनिश्चित अंशदायी भविष्य निधि के लाभ का भी हकदार होगा.

(8) इन नियमों के अधीन संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिन का ऐच्छिक छुट्टियों का हकदार होगा किन्तु वह किसी अन्य प्रकार की छुट्टी या अवकाश का हकदार नहीं होगा. नियमित आधार पर नियुक्त अन्य व्यक्ति ऐसे अवकाश लाभों के हकदार होंगे, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को लागू है.

(9) संविदा/नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्ति ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एज्यूकेशन के सन्नियमों के अनुसार उच्च अर्हताएं धारण करने के लिये प्रोत्साहनों का हकदार होगा.

(10) सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि उसको नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हों.

13. **धारणाधिकार.**—यदि कोई व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक के कॉलम (3) से (7) में विनिर्दिष्ट पद मूल हैसियत में धारण कर रहा हो, प्रतिनियुक्ति पर होगा और यदि इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी उच्चतर पद पर चयन होता है तो उसे अपने मूल पद पर अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिये धारणाधिकार बनाये रखने की अनुज्ञा दी जायेगी. ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व उस संस्थान के जिसमें कि वह सेवा कर रहा है, नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्यर्थी के आमेलन के बारे में अंतिम विनिश्चय करना होगा.

14. **राज्य सरकार की भर्ती तथा संवर्ग प्रबंधन नीति का समन्वय करने की शक्ति.**—राज्य सरकार में यह अधिकार होगा कि वह जब कभी भी आवश्यक हो, इन नियमों के अधीन संस्थाओं में भर्ती चयन तथा शिक्षकों के संवर्ग के प्रबंधन के लिये सामान्य सन्नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण करने संबंधी निदेश सोसाइटी को जारी करें.

15. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

16. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत और साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्रवाई करने की शक्तियों को सीमित या कम करती हों:

परन्तु किसी मामले को ऐसी रीति में नहीं निपटाया जायेगा, जो उसके लिये इन नियमों में उपबंधित रीति से कम अनुकूल हो.

17. निरसन और व्यावृत्ति.—इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा, निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

अनु. क्रमांक (1)	पद का नाम (2)	स्वीकृत पद जबलपुर (3)	रीवा (4)	सागर (5)	उज्जैन (6)	योग (7)	वर्गीकरण (8)	वेतनमान (9)	टिप्पणियां (10)
1.	प्राचार्य	1	1	1	1	4	प्रथम श्रेणी	18400—22400 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
2.	प्राध्यापक								
	(1) सिविल इंजीनियरिंग	5	2	1	2	10	प्रथम श्रेणी	16400—22400 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
	(2) मैकेनिकल इंजीनियरिंग	4	2	3	2	11	प्रथम श्रेणी	16400—22400 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
	(3) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	4	3	2	2	11	प्रथम श्रेणी	16400—22400 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
	(4) एप्लाइड मैकेनिक्स	1	0	0	0	1	प्रथम श्रेणी	16400—22400 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
	(5) इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	2	1	1	1	5	प्रथम श्रेणी	16400—22400 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
	(6) सूचना प्रौद्योगिकी	1	0	0	0	1	प्रथम श्रेणी	16400—22400 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
	(7) कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी.	1	0	0	0	1	प्रथम श्रेणी	16400—22400 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
	(8) प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	1	0	0	0	1	प्रथम श्रेणी	16400—22400 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
	(9) केमिकल इंजीनियरिंग	0	0	0	1	1	प्रथम श्रेणी	16400—22400 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
	(10) भौतिक शास्त्र	1	1	0	1	3	प्रथम श्रेणी	16400—22400 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
	(11) रसायन शास्त्र	1	1	0	1	3	प्रथम श्रेणी	16400—22400 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
	(12) गणित	1	1	0	1	3	प्रथम श्रेणी	16400—22400 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
	(13) कम्प्यूटर उपयोजन	2	1	0	0	3	प्रथम श्रेणी	16400—22400 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
	(14) प्रशिक्षण एवं स्थानन	1	0	1	0	2	प्रथम श्रेणी	16400—22400 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.क	रीडर जिनका स्थानन प्राध्यापक के पद पर ए. आई. सी. टी. ई. की केरियर एडवांसमेंट स्कीम के अधीन किया जायेगा.		अनुक्रमांक 3 पर वर्णित समस्त पद				प्रथम श्रेणी	16400—22400 (ए. आई. सी. टी. ई.)	अनुसची तीन की टिप्पण-2 देखिए
3.	रीडर								
(1)	सिविल इंजीनियरिंग	9	4	4	5	22	प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
(2)	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	8	6	4	4	22	प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
(3)	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	10	3	3	3	19	प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
(4)	एप्लाइड मैकेनिक्स	2	2	0	2	6	प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
(5)	इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	8	3	3	4	18	प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
(6)	सूचना प्रौद्योगिकी	1	0	0	0	1	प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
(7)	कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग	1	0	0	0	1	प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
(8)	प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	2	0	0	0	2	प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
(9)	केमिकल इंजीनियरिंग	0	0	0	3	3	प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
(10)	भौतिक शास्त्र	3	0	1	0	4	प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
(11)	रसायन शास्त्र	2	0	1	0	3	प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
(12)	गणित	4	1	1	1	7	प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
(13)	कम्प्यूटर उपयोजन	3	2	0	0	5	प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
(14)	इंजीनियरी रसायन	1	0	0	0	1	प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
(15)	भू-विज्ञान	1	0	0	0	1	प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
(16)	कर्मशाला अधीक्षक	1	1	1	1	4	प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
(17)	प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी	0	1	0	1	2	प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—
(18)	सिस्टम एनालिस्ट	1	0	1	0	2	प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.क	व्याख्याता जिनका स्थानन रीडर के पद पर ए. आई. सी. टी. ई. की केरियर एडवांसमेंट स्कीम के अधीन किया जायेगा.			अनुक्रमांक 4 पर वर्णित समस्त पद			प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	अनुसूची तीन की टिप्पण-3 देखिए.
4.	व्याख्याता								
	(1) सिविल इंजीनियरिंग	13	07	02	05	27	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-
	(2) मैकेनिकल इंजीनियरिंग	14	09	08	07	38	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-
	(3) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	15	07	04	06	32	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-
	(4) एप्लाइड मैकेनिक्स	01	01	00	01	03	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-
	(5) इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	09	07	08	08	32	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-
	(6) सूचना प्रौद्योगिकी	03	00	00	00	03	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-
	(7) कम्प्यूटर साइंस एवं	08	00	00	00	08	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-
	(8) प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	02	00	00	00	02	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-
	(9) केमिकल इंजीनियरिंग	00	00	00	07	07	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-
	(10) भौतिक शास्त्र	12	04	02	03	21	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-
	(11) रसायन शास्त्र	09	04	02	03	18	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-
	(12) गणित	10	04	02	05	21	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-
	(13) कम्प्यूटर उपयोजन	05	03	00	00	08	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-
	(14) इंजीनियरी रसायन	02	00	00	00	02	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-
	(15) भू-विज्ञान	01	01	01	01	04	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(16) अंग्रेजी	02	01	01	00	04	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-
	(17) सहायक कर्मशाला अधीक्षक.	04	01	02	02	09	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-
4-क.	वरिष्ठ श्रेणी व्याख्याता		अनुक्रमांक 4 में वर्णित समस्त पद				प्रथम श्रेणी	10000—15200 (ए.आई.सी टी.ई.)	अनुसूची तीन की टिप्पण-5 देखिए.
4-ख	प्रवर श्रेणी व्याख्याता		अनुक्रमांक 4 में वर्णित समस्त पद				प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए.आई.सी टी.ई.)	अनुसूची तीन की टिप्पण-4 देखिए.
5.	ग्रन्थपाल	02	02	01	02	07	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-
5-क	वरिष्ठ श्रेणी ग्रन्थपाल		अनुक्रमांक 5 में वर्णित समस्त पद				प्रथम श्रेणी	10000—15200 (ए.आई.सी टी.ई.)	अनुसूची तीन की टिप्पण-6 देखिए.
5.-ख	प्रवर श्रेणी ग्रन्थपाल		अनुक्रमांक 5 में वर्णित समस्त पद				प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए.आई.सी टी.ई.)	अनुसूची तीन की टिप्पण-7 देखिए.
6.	शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक	02	01	01	01	05	प्रथम श्रेणी	8000—13500 (ए.आई.सी.टी.ई.)	-
6-क	वरिष्ठ श्रेणी शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक.		अनुक्रमांक 6 में वर्णित समस्त पद				प्रथम श्रेणी	10000—15200 (ए.आई.सी टी.ई.)	अनुसूची तीन की टिप्पण-8 देखिए.
5-ख	प्रवर श्रेणी शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक.		अनुक्रमांक 6 में वर्णित समस्त पद				प्रथम श्रेणी	12000—18300 (ए.आई.सी टी.ई.)	अनुसूची तीन की टिप्पण-9 देखिए.
7.	प्रोग्रामर	02	02	01	02	07	द्वितीय श्रेणी	8000—13500 (राज्य वेतनमान)	-

अनुसूची-दो

(नियम 3 देखिए)

अनु. क्रमांक (1)	पद का नाम (2)	पूर्व से भरे हुए पद जबलपुर (3)	रीवा (4)	सागर (5)	उज्जैन (6)	योग (7)	सोसाइटी को अन्तरित रिक्त पद जबलपुर (8)	रीवा (9)	सागर (10)	उज्जैन (11)	योग (12)	टिप्पणियां (13)
1.	प्राचार्य	1	0	0	0	01	0	1	1	1	03	
2.	प्राध्यापक											
	(1) सिविल इंजीनियरिंग	0	0	0	0	00	05	02	01	02	10	
	(2) मैकेनिकल इंजीनियरिंग	0	0	0	0	00	04	02	03	02	11	
	(3) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	0	0	0	0	00	04	03	02	02	11	
	(4) एप्लाइड मैकेनिक्स	0	0	0	0	00	01	00	00	00	01	
	(5) इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	0	0	0	0	00	02	01	01	01	05	
	(6) सूचना प्रौद्योगिकी	0	0	0	0	00	01	00	00	00	01	
	(7) कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी.	0	0	0	0	00	01	00	00	00	01	
	(8) प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	0	0	0	0	00	01	00	00	00	01	
	(9) केमिकल इंजीनियरिंग	0	0	0	0	00	00	00	00	01	01	
	(10) भौतिक शास्त्र	0	0	0	0	00	01	01	00	01	03	
	(11) रसायन शास्त्र	0	0	0	0	00	01	01	00	01	03	
	(12) गणित	0	0	0	0	00	01	01	00	01	03	
	(13) कम्प्यूटर उपयोजन	0	0	0	0	00	02	01	00	00	03	
	(14) प्रशिक्षण एवं स्थानन	0	0	0	0	00	01	00	01	00	02	
2.-क.	रीडर जिनका स्थानन प्राध्यापक के पद पर ए.आई.सी.टी.ई.की केरियर एडवांसमेंट स्कीम के अधीन किया गया है.	18	02	04	10	34	0	0	0	0	00	
3.	रीडर											
	(1) सिविल इंजीनियरिंग	02	00	01	03	06	07	04	03	02	16	
	(2) मैकेनिकल इंजीनियरिंग	05	02	02	04	13	03	04	02	00	09	
	(3) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	02	01	02	01	06	08	02	01	02	13	
	(4) एप्लाइड मैकेनिक्स	02	01	00	01	04	00	01	00	01	02	
	(5) इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	04	00	00	00	04	04	03	03	04	14	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(6) सूचना प्रौद्योगिकी	00	00	00	00	00	01	00	00	00	01	
	(7) कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग.	00	00	00	00	00	01	00	00	00	01	
	(8) प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	00	00	00	00	00	02	00	00	00	02	
	(9) केमिकल इंजीनियरिंग	00	00	00	01	01	00	00	00	02	02	
	(10) भौतिक शास्त्र	00	00	00	00	00	03	00	01	00	04	
	(11) रसायन शास्त्र	00	00	00	00	00	02	00	01	00	03	
	(12) गणित	00	00	00	00	00	04	01	01	01	07	
	(13) कम्प्यूटर उपयोजन	00	00	00	00	00	03	02	00	00	05	
	(14) इंजीनियरी रसायन	01	00	00	00	01	00	00	00	00	00	
	(15) भू-विज्ञान	01	00	00	00	01	00	00	00	00	00	
	(16) कर्मशाला अधीक्षक	00	00	00	00	00	01	01	01	01	04	
	(17) प्रशिक्षण एवं स्थानन	00	00	00	00	00	00	01	00	01	02	
	(18) सिस्टम एनालिस्ट	00	00	00	00	00	01	00	01	00	02	
3.-क.	व्याख्याता जिनका स्थानन रीड़र के पद पर ए.आई.-सी.टी.ई. केरियर एंडवांसमेंट स्कीम के अधीन किया गया है.	20	06	01	08	35	00	00	00	00	00	
4.	व्याख्याता											
	(1) सिविल इंजीनियरिंग	08	06	02	05	21	05	01	00	00	06	
	(2) मैकेनिकल इंजीनियरिंग	08	08	06	07	29	06	01	02	00	09	
	(3) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	08	03	04	05	20	07	04	00	01	12	
	(4) एप्लाइड मैकेनिक्स	01	00	00	00	01	00	01	00	01	02	
	(5) इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	04	05	03	04	16	05	02	05	04*	16	*इन पदों में से दो पद सोसाइटी द्वारा पूर्व से ही भरे जा चुके हैं.
	(6) सूचना प्रौद्योगिकी	00	00	00	00	00	03	00	00	00	03	
	(7) कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग.	00	00	00	00	00	08	00	00	00	08	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(8) प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	00	00	00	00	00	02	00	00	00	02	
	(९) केमिकल इंजीनियरिंग	00	00	00	05	05	00	00	00	02*	02	*इन पदों में से एक पद सोसाइटी द्वारा पूर्व से ही भरा जा चुका है.
	(10) भौतिक शास्त्र	05	00	02	00	07	07	04	00	03*	14	*इन पदों में से दो पद सोसाइटी द्वारा पूर्व से ही भरे जा चुके हैं.
	(11) रसायन शास्त्र	06	01	01	01	09	03	03	01	02*	09	*इन पदों में से एक पद सोसाइटी द्वारा पूर्व से ही भरा जा चुका हैं.
	(12) गणित	04	02	02	00	08	06	02	00	05*	13	*इन पदों में से एक पद सोसाइटी द्वारा पूर्व से ही भरा जा चुका हैं.
	(13) कम्प्यूटर उपयोजन	02	00	00	00	02	03	03	00	00	06	
	(14) इंजीनियरी रसायन	00	00	00	00	00	02	00	00	00	02	
	(15) भू-विज्ञान	01	01	00	01	03	00	00	01	00	01	
	(16) अंग्रेजी	01	00	00	00	01	01	01	01	00	03	
	(17) सहायक कर्मशाला अधीक्षक	01	00	01	02	04	03	01	01	00	05	
5.	ग्रन्थपाल	02	02	01	02	07	00	00	00	00	00	
6.	शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक	02	01	01	01	05	00	00	00	00	00	
7.	प्रोग्रामर	01	00	00	02	03	01	02	01	00	04	

अनुसूची-तीन

(नियम 6 देखिए)

अनु. क्रमांक	विभाग का नाम	पद का नाम	कर्त्तव्य पद जो सरकार द्वारा पूर्व में भरे गए हैं	कर्त्तव्य पद जो सोसाइटी को अन्तरित किए गए हैं	सीधे चयन के माध्यम से सोसाइटी द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण					
1.		प्राचार्य	01	03	100	
2.		प्राध्यापक				
		(1) सिविल इंजीनियरिंग	00	10	100	
		(2) मैकेनिकल इंजीनियरिंग	00	11	100	
		(3) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	00	11	100	
		(4) एप्लाइड मैकेनिक्स	00	01	100	
		(5) इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	00	05	100	
		(6) सूचना प्रौद्योगिकी	00	01	100	
		(7) कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी.	00	01	100	
		(8) प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	00	01	100	
		(9) केमिकल इंजीनियरिंग	00	01	100	
		(10) भौतिक शास्त्र	00	03	100	
		(11) रसायन शास्त्र	00	03	100	
		(12) गणित	00	03	100	
		(13) कम्प्यूटर उपयोजन	00	03	100	
		(14) प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी.	00	02	100	
2-क.		रीडर जिनका स्थानन प्राध्यापक के पद पर ए.आई.सी.टी.ई. की केरियर एडवांसमेंट स्कीम के अधीन किया जाएगा.	क्रमांक-3 पर वर्णित समस्त पद			प्राध्यापक के रूप में स्थानन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-2 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा.
3.		रीडर				
		(1) सिविल इंजीनियरिंग	06	16	100	
		(2) मैकेनिकल इंजीनियरिंग	13	09	100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(3) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	06	13	100	
		(4) एप्लाइड मैकेनिक्स	04	02	100	
		(5) इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	04	14	100	
		(6) सूचना प्रौद्योगिकी	00	01	100	
		(7) क्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग.	00	01	100	
		(8) प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	00	02	100	
		(9) केमिकल इंजीनियरिंग	01	02	100	
		(10) भौतिक शास्त्र	00	04	100	
		(11) रसायन शास्त्र	00	03	100	
		(12) गणित	00	07	100	
		(13) कम्प्यूटर उपयोजन	00	05	100	
		(14) इंजीनियरिंग रसायन	01	00	100	
		(15) भू-विज्ञान	01	00	100	
		(16) कर्मशाला अधीक्षक	00	04	100	
		(17) प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी.	00	02	100	
		(18) सिस्टम एनालिस्ट	00	02	100	
3-क		व्याख्याता जिनका स्थानन रीडर के पद पर ए.आई.-सी.टी.ई. की केरियर एंडवांसमेंट स्कीम के अधीन किया जायेगा.	क्रमांक-4 पर वर्णित समस्त पद			रीडर के रूप में स्थानन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-3 में अभिकथित प्रक्रियां का अनुसरण किया जायेगा.
4.		व्याख्याता				
		(1) सिविल इंजीनियरिंग	21	06	100	
		(2) मैकेनिकल इंजीनियरिंग	29	09	100	
		(3) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	20	12	100	
		(4) एप्लाइड मैकेनिक्स	01	02	100	
		(5) इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	16	16	100	
		(6) सूचना प्रौद्योगिकी	00	03	100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(3) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	06	13	100	
		(4) एप्लाइड मैकेनिक्स	04	02	100	
		(5) इलेक्ट्रिनिक्स इंजीनियरिंग	04	14	100	
		(6) सूचना प्रौद्योगिकी	00	01	100	
		(7) कम्पूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग	00	01	100	
		(8) प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	00	02	100	
		(9) केमिकल इंजीनियरिंग	01	02	100	
		(10) भौतिक शास्त्र	00	04	100	
		(11) रसायन शास्त्र	00	03	100	
		(12) गणित	00	07	100	
		(13) कम्प्यूटर उपयोजन	00	05	100	
		(14) इंजीनियरिंग रसायन	01	00	100	
		(15) भू-विज्ञान	01	00	100	
		(16) कर्मशाला अधीक्षक	00	04	100	
		(17) प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी	00	02	100	
		(18) सिस्टम एनालिस्ट	00	02	100	
3-क		व्याख्याता जिनका स्थानन रीडर के पद पर ए.आई.सी.टी.ई. की केरियर एडवांसमेंट स्कीम के अधीन किया जायेगा.	क्रमांक-4 पर वर्णित समस्त पद			रीडर के रूप में स्थानन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-3 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा.
4.		व्याख्याता				
		(1) सिविल इंजीनियरिंग	21	06	100	
		(2) मैकेनिकल इंजीनियरिंग	29	09	100	
		(3) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	20	12	100	
		(4) एप्लाइड मैकेनिक्स	01	02	100	
		(5) इलेक्ट्रिनिक्स इंजीनियरिंग	16	16	100	
		(6) सूचना प्रौद्योगिकी	00	03	100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(7) कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग	00	08	100	
		(8) प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	00	02	100	
		(9) केमिकल इंजीनियरिंग	05	02	100	
		(10) भौतिक शास्त्र	07	14	100	
		(11) रसायन शास्त्र	09	09	100	
		(12) गणित	08	13	100	
		(13) कम्प्यूटर उपयोजन	02	06	100	
		(14) इंजीनियरी रसायन	00	02	100	
		(15) भू-विज्ञान	03	01	100	
		(16) अंग्रेजी	01	03	100	
		(17) सहायक कर्मशाला अधीक्षक.	04	05	100	
4-क		वरिष्ठ श्रेणी व्याख्याता	अनुक्रमांक 4 में वर्णित समस्त पद			वरिष्ठ श्रेणी व्याख्याता के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-5 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा.
4-ख		प्रवर श्रेणी व्याख्याता	अनुक्रमांक 4 में वर्णित समस्त पद			प्रवर श्रेणी व्याख्याता के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-4 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा और वरिष्ठ श्रेणी व्याख्याता के पद से रीडर के रूप में रखने के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-3 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा.
5.		ग्रन्थपाल	07	00	100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5-क		वरिष्ठ श्रेणी ग्रन्थपाल	अनुक्रमांक 5 में वर्णित समस्त पद			वरिष्ठ श्रेणी ग्रन्थपाल के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-6 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा.
5-ख		प्रवर श्रेणी ग्रन्थपाल	अनुक्रमांक 5 में वर्णित समस्त पद			प्रवर श्रेणी ग्रन्थपाल के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-7 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा.
6.		शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक	05	00	100	
6-क		वरिष्ठ श्रेणी शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक.	अनुक्रमांक 6 में वर्णित समस्त पद			वरिष्ठ श्रेणी शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-8 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा.
6-ख		प्रवर श्रेणी शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक.	अनुक्रमांक 6 में वर्णित समस्त पद			प्रवर श्रेणी शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक के रूप में रखने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-तीन के टिप्पण-9 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा.
7.		प्रोग्रामर	03	04	100	

केरियर एडवांसमेंट.—केरियर एडवांसमेंट में शिक्षकों के समस्त स्थापना 'in situ' आधार पर होगा, जो कि किसी विशेष संवर्ग में मंजूर किये गये पदों की संख्या के अतिरिक्त होगा.

टिप्पण-1.—व्याख्याता के रूप में भरती के समय विज्ञान/मानविकी संकाय में उनको, जो क्रमश: पी.एच.डी. तथा एम. फिल की उपाधियां धारण करते हों और तकनीकी संकाय में उनको, जो क्रमश: पी.एच.डी. तथा एम.ई./एम.टेक. की उपाधियां धारण करते हों, चार तथा दो अग्रिम वेतन वृद्धियां अनुज्ञेय होंगी.

टिप्पण-2.—रीडर के रूप में जिसे न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव है, वह प्राध्यापक के रूप में स्थानन के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. उसके पास पी.एच.डी. की उपाधि हो.

2. उसने कम-से-कम 4 शोध-पत्र प्रकाशित किये हों.

3. उसने 4 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमीनार/शरदकालीन/ग्रीष्मकालीन स्कूलों अथवा लघु अवधि के पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो, जिनकी कुल अवधि 4 सप्ताह से कम न हो.

4. उसने निरंतर शिक्षा कार्यक्रमों/पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रमों में भाग लिया हो.

5. उसका पिछले 5 वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो.

टिप्पण-3.—व्याख्याता, जो वरिष्ठ वेतनमान व्याख्याता के रूप में कार्यरत् हो, रीडर के रूप में स्थानन के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. उसने चयन के वर्ष में एक जनवरी को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में पांच वर्ष पूर्ण कर लिए हों.

2. उसके पास पी.एच.डी. की उपाधि हो.

3. उसने वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त करने के पश्चात् कम-से-कम चार सप्ताह के शरदकालीन स्कूलों/ग्रीष्मकालीन स्कूलों/लघु अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो.

4. उसका पिछले 5 वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो.

टिप्पण-4.—व्याख्याता, जो वरिष्ठ वेतनमान व्याख्याता के रूप में कार्यरत् हो, "सिलेक्शन ग्रेड" (प्रवर श्रेणी) में स्थानन के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. उसने चयन के वर्ष में एक जनवरी को वरिष्ठ वेतनमान में पांच वर्ष पूर्ण कर लिए हों.

2. उसने वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त करने के पश्चात् कम-से-कम 4 सप्ताह के शरदकालीन स्कूलों/ग्रीष्मकालीन स्कूलों/लघु अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो.

3. उसका पिछले 5 वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो.

टिप्पण-5.—व्याख्याता, वरिष्ठ वेतनमान में स्थानन के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. व्याख्याता के रूप में नियमित रूप से चयन के पश्चात् 1 जनवरी को 6 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो, यदि उसके पास एम.फिल, एम.ई./एम.टेक. तथा पी.एच.डी. उपाधि हो तो उसे क्रमश: एक वर्ष तथा दो वर्ष की छूट दी जायेगी.

2. उसने कम-से-कम 4 सप्ताह के शरदकालीन स्कूलों/ग्रीष्मकालीन स्कूलों/लघु अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो.

3. उसका पिछले तीन वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो.

टिप्पण-6.—ग्रंथपाल, वरिष्ठ वेतनमान में स्थानन के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा यथाविहित छूट सहित नियमित नियुक्ति के पश्चात् उसने एक जनवरी को सेवा के 6 वर्ष पूर्ण कर लिये हों.

2. उसने कम-से-कम चार सप्ताह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/शरदकालीन स्कूलों/ग्रीष्मकालीन स्कूलों/लघु अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो.

3. उसका पिछले तीन वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो.

टिप्पण-7.— वरिष्ठ वेतनमान में कार्यरत ग्रंथपाल प्रवर श्रेणी (सिलेक्शन ग्रेड) में स्थानन के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. उसने वरिष्ठ वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो.

2. उसने पी. एच. डी. की उपाधि अभिप्राप्त की हो या उसके समतुल्य शोध कार्य प्रकाशित करवाया हो, और

3. उसने वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त करने के पश्चात् कम-से-कम चार सप्ताह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/शरदकालीन स्कूलों/ग्रीष्मकालीन स्कूलों/लघु अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो, और

4. उसका पिछले पांच वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो.

टिप्पण-8.—शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षक, वरिष्ठ वेतनमान में स्थानन के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा यथाविहित छूट सहित नियमित नियुक्ति के पश्चात् एक जनवरी को सेवा के 6 वर्ष पूर्ण कर लिये हों.

2. उसने कम-से-कम चार सप्ताह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/शरदकालीन स्कूलों/ग्रीष्मकालीन स्कूलों/लघु अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो.

3. उसका पिछले तीन वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो.

टिप्पण-9.— शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षक, जो वरिष्ठ वेतनमान कार्यरत हो, "प्रवर श्रेणी वेतनमान" में स्थानन के लिए पात्र होगा, यदि :—

1. उसने वरिष्ठ वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो.

2. उसने पी. एच. डी. की उपाधि अभिप्राप्त की हो या उसके समतुल्य शोध कार्य प्रकाशित करवाया हो,

3. उसने वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त करने के पश्चात् कम-से-कम चार सप्ताह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/शरदकालीन स्कूलों/ग्रीष्मकालीन स्कूलों/लघु अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो; और

4. उसका पिछले पांच वर्षों का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो.

टिप्पण-10.— वरिष्ठ वेतनमान/सिलेक्शन ग्रेड व्याख्याता में, व्याख्याता से रीडर में तथा रीडर से प्राध्यापक में स्थानन के लिए धारित पद, चयन समिति द्वारा, उन्नत किए जाएंगे, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

सरकार द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षकों के लिए

1.	सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	अध्यक्ष
2.	संचालक, तकनीकी शिक्षा	सदस्य
3.	स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के दो प्राचार्य	सदस्य
4.	अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधि	सदस्य

सोसाइटी द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षकों के लिए

1.	बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	संचालक, तकनीकी शिक्षा अथवा उसका नाम निर्देशिती, जो संयुक्त संचालक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो.	सदस्य.
3.	उस विश्वविद्यालय का कुलपति, जिससे संस्था संबद्ध है	सदस्य
4.	अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	संबंधित संस्था का प्राचार्य	सदस्य-सचिव.

अनुसूची-चार

[नियम 7(2) देखिए]

विभाग का नाम (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु (3)	अधिकतम आयु (4)	शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव (5)	टिप्पणियां (6)
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण.	1. प्राचार्य	-	60 वर्ष	1. पी. एच. डी. उपाधि (स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में उपाधि सहित). 2. अध्यापन/उद्योग/शोध कार्य में 15 वर्षों का अनुभव, जिसमें 5 वर्ष का प्राध्यापक स्तर का अनुभव होना चाहिए, वांछनीय— शैक्षणिक संस्था के प्रबंधन का अनुभव होना चाहिए.	-
	2. प्राध्यापक (इंजीनियरिंग तथा प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी).	-	58 वर्ष	1. पी. एच. डी. उपाधि सहित इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में उपाधि. 2. अध्यापन/उद्योग/शोध कार्य में 10 वर्षों का अनुभव जिसमें 5 वर्ष का रीडर तथा/या उसके समतुल्य स्तर का अनुभव होना चाहिए.	-
	3. प्राध्यापक (विज्ञान).	-	58 वर्ष	1. पी. एच. डी. उपाधि सहित विज्ञान के संबंधित विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में उपाधि. 2. अध्यापन/उद्योग/शोध कार्य में 10 वर्षों का अनुभव जिसमें 5 वर्ष का रीडर तथा/या उसके समतुल्य स्तर का अनुभव होना चाहिए.	
	4. रीडर (इंजीनियरिंग तथा प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी).	-	50 वर्ष	1. पी. एच. डी. सहित इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि. 2. अध्यापन/उद्योग/शोध कार्य में 5 वर्षों का अनुभव जिसमें से कम से कम 3 वर्षों का व्याख्याता या उसके समतुल्य स्तर का अनुभव होना चाहिए.	
	5. सिस्टम एनालिस्ट	-	50 वर्ष	1. पी. एच. डी. सहित प्रथम श्रेणी में कम्प्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर उपाधि या पी. एच. डी. सहित प्रथम श्रेणी में कम्प्यूटर उपयोजन में स्नातकोत्तर उपाधि. 2. शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम/संगठन के कम्प्यूटर केन्द्रों में कार्य का 5 वर्ष का अनुभव.	
	6. रीडर (विज्ञान)	-	50 वर्ष	1. पी. एच. डी. सहित विज्ञान के संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि. 2. अध्यापन/उद्योग/शोध कार्य में 5 वर्षों का अनुभव, जिसमें से व्याख्याता या उसके समतुल्य स्तर का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	7. व्याख्याता (इंजीनियरिंग)/ सहायक कर्मशाला अधीक्षक.	21 वर्ष	35 वर्ष	इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि.	
	8. व्याख्याता (विज्ञान)	21 वर्ष	35 वर्ष	विज्ञान/मानविकी के संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि.	
	9. ग्रंथपाल	21 वर्ष	35 वर्ष	1. इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य एजेन्सी द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अर्हित होना चाहिए. 2. पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समतुल्य व्यावसायिक उपाधि या उसके समतुल्य सी. जी. पी. ए. एवं निरंतर अच्छा अकादमिक रिकार्ड, पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का अनुभव.	
	10. शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक.	21 वर्ष	35 वर्ष	1. शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (दो वर्ष का पाठ्यक्रम) अथवा खेलकूद (स्पोर्ट्स) में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि, कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित अथवा उसके समतुल्य सी. जी. पी. ए. और निरंतर अच्छा अकादमिक रिकार्ड. 2. अंतर विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय का अथवा राष्ट्रीय चेंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करने का रिकार्ड 3. शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा में उत्तीर्ण 4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा या उसके द्वारा अनुमोदित अन्य एजेन्सी द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अर्हित होना चाहिए.	
	11. प्रोग्रामर	21 वर्ष	35 वर्ष	कम्प्यूटर साइंस तथा इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक या कम्प्यूटर उपयोजन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. दुबे, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2004

क्र. एफ. 1-40-2002-बयालीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भरती) नियम, 2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. दुबे, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 5th March 2004

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Madhya Pradesh Society Registration Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), the State Government hereby makes the following rules relating to recruitment and other conditions of service of the Madhya Pradesh Technical Education Engineering College (Teching Cadre) Services, namely :—

RULES

1. **Short titles and Commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Technical Education Engineering College (Teaching Cadre) Service (Recruitment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette."

2. **Definition.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" in respect of the persons who, at the commencement of these rules, are holding substantively the posts mentioned in Column 3 to 7 of Schedule II means the Government and in respect of the posts shown in Cloumn 8 to 12 of Schedule II as transferred to the Society, means the Board of Governors of the Society;

(b) "AICTE" means the All India Council for Technical Education established under the All India Council for Technical Education Act, 1987 (No. 52 of 1987);

(c) "Board of Governors" means the Board of Governors of the Society;

(d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(e) "Institute" means engineering college declared autonomous by the State Government *vide* Notification No. F-50-5-96-42-1 dated the 29th May 1997;

(f) "Other Backward Classes" means any class, race or part or group within a class/caste as specified by the State Government in their Notification No. F. 8-5-25-4-84 dated 26th December 1984;

(g) "Schedule" means the various Schedules mentioned in these Rules;

(h) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part or a group within a caste, race or tribe specified as scheduled caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(i) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part or group within a tribe or tribal community specified as such Schedule Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(j) "Selection Committee" means the Selection Committee mentioned in Schedule III;

(k) "Service" means Madhya Pradesh Technical Education Engineering College (Teaching Cadre) Service;

(l) "Society" means the Society of the engineering college as registered under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).

3. **Constitution of the Service.**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(a) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule II shall constitute a Dying Cadre;

(b) Persons recruited to the Service before commencement of these rules; and

(c) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

4. **Classification, scale of pay etc.**—The classification of the Service, the scale of pay attached there to and the number of posts included in the Service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the posts relinquished by the Government servant on retirement, resignation, death etc. shall be transferred to the Society of the engineering college.

5. **Method of Recruitment.**—(1) Recruitment to the Service after commencement of these Rules shall be made by selection through direct recruitment,

(2) The number of persons recruited under sub-rule (1) shall not, at any time, exceed the percentage of posts shown in Schedule III of the duty posts as specified in Schedule I.

(3) Notwithstanding any thing contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Society of the Engineering College, he exigencies of the Service so required, the Society may with prior concurrence of the Government, adopt such other methods of recruitment to the Service than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

6. **Appointment to the Service.**—The Appointing Authority shall make all appointments to the Service after the commencement of these Rules and such appointments shall not be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in the rule 5.

7. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**—In order to be eligible to compete at the selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

(1) Age.—(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule IV and not attained the age as specified in cloumn (4) of the said Schedule, on the first day of January, next following the date of commencement of the examination/selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall also be relaxeble in respect of candidates who are or who have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the condition specified below—(i) A candidate who is a retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(d) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six monhs and was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the

Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service :—

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on (a) Completion of short term engagement; and (b) fulfilling the conditions of enrolment;

(3) Ex-employees of Madras Civil Unit;

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-serviceman who are removed from service due to disability;

(7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account to gunshot, wounds, etc.

(e) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 10 years for women candidates in accordance with the provision of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions of Appointment of Women) Rules, 1997;.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 38 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporation/Boards.

(g) The General upper age limit shall be 55 years in respect of widow, distitute, and divorced women candidates.

(h) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum 2 years for those candidates who are Green Card holders under the Family Welfare Programme.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of a Savarna Partner who has been awarded under the Inter Caste Marriage incentive scheme of the Tribal, Harijan and Backward Classes Welfare Department.

(j) The general upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of "Vikrama Award" holder candidates.

(k) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

(2) **Educational Qualifications.**—He must possess such educational qualifications as prescribed for the service in Schedule IV.

(3) **Fees.**—He must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

Note.—(1) Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the examination/selection.

(2) No candidate who has married before the minimum age fixed for marriage shall be eligible for appointment to a service or post.

(3) No candidate who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th January 2001 shall be eligible for appointment to a service or post.

8. **Disqualification.**—Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means shall disqualifiy him for selection.

9. **Appointing Authority's decision about the eligibility of the candidate.**—The Decision of the Appointing Authority to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidates to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/interviews.

10. **Direct recruitment by Selection.**—(1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, from time to time, determine.

(2) Selection of candidates for the service shall be made by the Board of Governors by the process of written examination and/or interview.

(3) Appointment to various posts specified in Schedule I shall be governed by the law or rules for reservation such as:

(a) Posts shall be reserved for Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes as per the provisions of Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jati, Anusuchit Janjati Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994. Roster for this purpose shall be maintaned at the Institute level.

(b) Reservation for women candidates shall be applicable as per provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions of appointment of Women) Rules, 1997.

(c) Reservation for the physically challenged candidates shall be applicable as per instructions issued by the State Government.

11. **List of candidates recommended for appointment.**—(1) The Selection Committee shall forward to the Appointing Authority of the concerned Engineering College a list, arranged in order of merit of the candidates who have qualified for a particular service/post by such standards as the Appointing Authority may determine. The list of selected candidates shall also be published for general information.

(2) Selection Committee shall prepare separate lists of candidates belonging to various categories such as General, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes etc.

(3) Subject to the provisions of these Rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service Rules, 1961), candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the selection list.

(4) Inclusion of a candidate's name in the list does not confer any right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

(5) The select list shall be valid for a period of one year from the date of its approval by the Board of Governors of the Institute.

12. **Conditions of Services.**—(1) Every person recruited on initial posts such as Lecturer, Programmer, Assistant Workshop Superintendent, Librarian and Physical Training Instructor shown in Schedule III shall be appointed initially for a period of three years on contract. On completion of this period, performance of the candidate shall be reviewed by the Appointing Authority as per approval procedure as approved by the Government and, if found suitable, he shall be offered a regular appointment.

(2) The Society shall be able to make regular appointment on probation for a period of two years on post such as Readers, Workshop Superintendents, Professors and Principals shown in Schedule II.

(3) Conduct of any person appointed under these Rules shall be governed by the Madhya Pradesh Civi Services (Conduct) Rules, 1965 as amended from time to time.

(4) A person appointed under these Rules shall not be entitled to pension and other benefits relating thereto However, persons who at the commencement of those rules are holding substantively, the posts mentioned in Schedule II on selection to the higher posts will be entitled to the pensioners benefit from the posts from which they retire.

(5) Services of a person appointed under these Rules shall be terminated even before the expiry of the contract probation on one month notice from either side or one month pay in lieu thereof.

(6) A person appointed under these Rules shall be entitled to benefit of medical facilities and travelling allowances similar to those to which the employees of the State Government in equivalent cadres are entitled.

(7) A person appointed under these Rules shall also be entitled to benefit of Contributory Provident Fund a decided by the State Government from time to time.

(8) A person appointed under these Rules on contract shall be entitled to casual leave for 13 days and optiona holidays for 3 days in a year but he shall not be entitled to any other kind of leave or vacation. Others person appointed on regular basis shall be entitled to leave benefits as applicable to Government employees.

(9) A person appointed on contract/regular basis shall be entitled to incentives for possessing highe qualifications as per norms of the All India Council of Technical Education.

(10) Other conditions of service shall be such as may be specified in the order of his/her appointment.

13. **Lien.**—If a person who at the commencement of these rules is holding a post specified in column (3) to (7) of Schedule I in a substantive capacity shall be on deputation and if selected after the commencement of these Rules for a higher post in accordance with the provisions of these rules shall be permitted to retain lien on his substantive post for a maximum period of three years. Before completion of the period specified above the Appointing Authority of the institute in which he is serving will have to take a final decision about the absorption of the candidate.

14. **Powers of the State Government to co-ordinate recruitment and cadre Management Policy.**—The State Government shall have the right to issue the directives as and when necessary to the Society for adhering to a common set of norms and procedures for the recruitment, selection and management of cadre of teachers under the rules across institutions.

15. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

16. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor of Madhya Pradesh to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to that person than that provided in these Rules.

17. **Repeal and Saving.**—All rules corresponding to these rules and enforced immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these Rules :

Provided that any order made or action taken under the Rules so repealed shall be deemed to have been

made or taken under the corresponding provision of these Rules :—

SCHEDULE-I

(*See* rule-5)

Sl. No.	Name of the Post	Sanctioned Posts					Classification	Pay Scale	Remarks
		Jabalpur	Rewa	Sagar	Ujjain	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**Principal**	1	1	1	1	4	Class-I	18400—22400 (AICTE)	
2	**Professor**								
	(1) Civil Engg.	5	2	1	2	10	Class-I	16400—22400 (AICTE)	
	(2) Mechanical Engg.	4	2	3	2	11	Class-I	16400—22400 (AICTE)	
	(3) Electrical Engg.	4	3	2	2	11	Class-I	16400—22400 (AICTE)	
	(4) Applied Mechanics	1	0	0	0	1	Class-I	16400—22400 (AICTE)	
	(5) Electronics Engg.	2	1	1	1	5	Class-I	16400—22400 (AICTE)	
	(6) Information Technology	1	0	0	0	1	Class-I	16400—22400 (AICTE)	
	(7) Comp. Sc. & Engg.	1	0	0	0	1	Class-I	16400—22400 (AICTE)	
	(8) Production Engg.	1	0	0	0	1	Class-I	16400—22400 (AICTE)	
	(9) Chemical Engg.	0	0	0	1	1	Class-I	16400—22400 (AICTE)	
	(10) Physics	1	1	0	1	3	Class-I	16400—22400 (AICTE)	
	(11) Chemistry	1	1	0	1	3	Class-I	16400—22400 (AICTE)	
	(12) Mathematics	1	1	0	1	3	Class-I	16400—22400 (AICTE)	
	(13) Comp. Application	2	1	0	0	3	Class-I	16400—22400 (AICTE)	
	(14) Training and Placement Officer.	1	0	1	0	2	Class-I	16400—22400 (AICTE)	
2A	Reader to be placed as Professor under career advancement Scheme of AICTE.	All post mentioned in serial number 3					Class-I	16400—22400 (AICTE)	Please see note-2 of Schedule-III
3	**Reader**								
	(1) Civil Engg.	9	4	4	5	22	Class-I	12000—18300 (AICTE)	
	(2) Mechanical Engg.	8	6	4	4	22	Class-I	12000—18300 (AICTE)	
	(3) Electrical Engg.	10	3	3	3	19	Class-I	12000—18300 (AICTE)	
	(4) Applied Mechanics	2	2	0	2	6	Class-I	12000—18300 (AICTE)	
	(5) Electronics Engg.	8	3	3	4	18	Class-I	12000—18300 (AICTE)	
	(6) Information Technology	1	0	0	0	1	Class-I	12000—18300 (AICTE)	
	(7) Comp. Sc. & Engg.	1	0	0	0	1	Class-I	12000—18300 (AICTE)	
	(8) Production Engg.	2	0	0	0	2	Class-I	12000—18300 (AICTE)	
	(9) Chemical Engg.	0	0	0	3	3	Class-I	12000—18300 (AICTE)	
	(10) Physics	3	0	1	0	4	Class-I	12000—18300 (AICTE)	
	(11) Chemistry	2	0	1	0	3	Class-I	12000—18300 (AICTE)	
	(12) Mathematics	4	1	1	1	7	Class-I	12000—18300 (AICTE)	
	(13) Comp. Application	3	2	0	0	5	Class-I	12000—18300 (AICTE)	
	(14) Engg. Chemistry	1	0	0	0	1	Class-I	12000—18300 (AICTE)	
	(15) Geology	1	0	0	0	1	Class-I	12000—18300 (AICTE)	
	(16) Workshop Suptd.	1	1	1	1	4	Class-I	12000—18300 (AICTE)	
	(17) Training and Placement Officer.	0	1	0	1	2	Class-I	12000—18300 (AICTE)	
	(18) System Analyst	1	0	1	0	2	Class-I	12000—18300 (AICTE)	
3A	Lecturer to be placed as Reader under career advancement Scheme of AICTE.	All post mentioned in serial number 4					Class-I	12000—18300 (AICTE)	Please see note-3 of Schedule-III
4	**Lecturer**								
	(1) Civil Engg.	13	7	2	5	27	Class-I	8000—13500 (AICTE)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(2) Mechanical Engg.	14	9	8	7	38	Class-I	8000—13500 (AICTE)	
	(3) Electrical Engg.	15	7	4	6	32	Class-I	8000—13500 (AICTE)	
	(4) Applied Mechanics	1	1	0	1	3	Class-I	8000—13500 (AICTE)	
	(5) Electronics Engg.	9	7	8	8	32	Class-I	8000—13500 (AICTE)	
	(6) Information Technology	3	0	0	0	3	Class-I	8000—13500 (AICTE)	
	(7) Comp. Sc. & Engg.	8	0	0	0	8	Class-I	8000—13500 (AICTE)	
	(8) Production Engg.	2	0	0	0	2	Class-I	8000—13500 (AICTE)	
	(9) Chemical Engg.	0	0	0	7	7	Class-I	8000—13500 (AICTE)	
	(10) Physics	12	4	2	3	21	Class-I	8000—13500 (AICTE)	
	(11) Chemistry	9	4	2	3	18	Class-I	8000—13500 (AICTE)	
	(12) Mathematics	10	4	2	5	21	Class-I	8000—13500 (AICTE)	
	(13) Comp. Application	5	3	0	0	8	Class-I	8000—13500 (AICTE)	
	(14) Engg. Chemistry	2	0	0	0	2	Class-I	8000—13500 (AICTE)	
	(15) Geology	1	1	1	1	4	Class-I	8000—13500 (AICTE)	
	(16) English	2	1	1	0	4	Class-I	8000—13500 (AICTE)	
	(17) Astt. Workshop Supd.	4	1	2	2	9	Class-I	8000—13500 (AICTE)	
4A.	Lecturer-Senior Grade	All post mentioned in serial number 4					Class-I	10000—15200 (AICTE)	Please see note-5 of Schedule-III
4B.	Lecturer-Selection Grade	All post mentioned in serial number 4					Class-I	12000—18300 (AICTE)	Please see note-4 of Schedule-III
5	**Librarian**	2	2	1	2	7	Class-I	8000—13500 (AICTE)	
5A.	Librarian-Senior Grade	All post mentioned in serial number 5					Class-I	10,000—15,200 (AICTE)	Please see note-6 of Schedule-III
5B.	Librarian-Selection Grade	All post mentioned in serial number 5					Class-I	12,000—18,300 (AICTE)	Please see note-7 of Schedule-III
6	**Physical Training Instructor**	2	1	1	1	5	Class-I	8000-13,500 (AICTE)	
6A.	Physical Training Instructor-Senior Grade.	All post mentioned in serial number 6					Class-I	10,000—15,200 (AICTE)	Please see note-8 of Schedule-III.
6B.	Physical Training Instructor-Selection Grade.	All post mentioned in serial number 6					Class-I	12,000—18,300 (AICTE)	Please see note-9 of Schedule-III.
7	**Programmer**	2	2	1	2	7	Class-II	8000—13,500 (State-Scale)	

SCHEDULE-II

(*See* rule-3)

Sl. No.	Name of the Post		Post already filled				Vacant posts Transferred to Society					Remarks
		Jabalpur	Rewa	Sagar	Ujjain	Total	Jabalpur	Rewa	Sagar	Ujjain	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	**Principal**	1	0	0	0	1	0	1	1	1	3	
2	**Professor**											
	(1) Civil Engg.	0	0	0	0	0	5	2	1	2	10	
	(2) Mechanical Engg.	0	0	0	0	0	4	2	3	2	11	
	(3) Electrical Engg.	0	0	0	0	0	4	3	2	2	11	
	(4) Applied Mechanics	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	(5) Electronics Engg.	0	0	0	0	0	2	1	1	1	5	
	(6) Information Technology	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(7) Comp. Sc. & Engg.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	—	
	(8) Production Engg.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	(9) Chemical Engg.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	(10) Physics	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	
	(11) Chemistry	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	
	(12) Mathematics	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	
	(13) Comp. Application	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	
	(14) Training and Placement Officer.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	
2A	Reader placed as Professor under career advancement Scheme of AICTE.	18	2	4	10	34	0	0	0	0	0	
3	**Reader**											
	(1) Civil Engg.	2	0	1	3	6	7	4	3	2	16	
	(2) Mechanical Engg.	5	2	2	4	13	3	4	2	0	9	
	(3) Electrical Engg.	2	1	2	1	6	8	2	1	2	13	
	(4) Applied Mechanics	2	1	0	1	4	0	1	0	1	2	
	(5) Electronics Engg.	4	0	0	0	4	4	3	3	4	14	
	(6) Information Technology	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	(7) Comp. Sc. & Engg.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	(8) Production Engg.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
	(9) Chemical Engg.	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	
	(10) Physics	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4	
	(11) Chemistry	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	
	(12) Mathematics	0	0	0	0	0	4	1	1	1	7	
	(13) Comp. Application	0	0	0	0	0	3	2	0	0	5	
	(14) Engg. Chemistry	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	(15) Geology	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	(16) Workshop Suptd.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	
	(17) Training and Placement Officer.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
	(18) System Analyst	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	
3A	Lecturer placed as Reader under career advancement Scheme of AICTE.	20	6	1	8	35	0	0	0	0	0	
4	**Lecturer**											
	(1) Civil Engg.	8	6	2	5	21	5	1	0	0	6	
	(2) Mechanical Engg.	8	8	6	7	29	6	1	2	0	9	
	(3) Electrical Engg.	8	3	4	5	20	7	4	0	1	12	
	(4) Applied Mechanics	1	0	0	0	1	0	1	0	1	2	
	(5) Electronics Engg.	4	5	3	4	16	5	2	5	4*	16	Out of these two posts have already been filled.
	(6) Information Technology	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
	(7) Comp. Sc. & Engg.	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	
	(8) Production Engg.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
	(9) Chemical Engg.	0	0	0	5	5	0	0	0	2*	2	Out of these one post have already been filled by the Society.
	(10) Physics	5	0	2	0	7	7	4	0	3*	14	Out of these two posts have already been filled by the Society.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(11) Chemistry	6	1	1	1	9	3	3	1	2*	9	Out of these one post have already been filled by the Society.
	(12) Mathematics	4	2	2	0	8	6	2	0	5*	13	Out of these one post have already been filled by the Society.
	(13) Comp. Application	2	0	0	0	2	3	3	0	0	6	
	(14) Engg. Chemistry	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
	(15) Geology	1	1	0	1	3	0	0	1	0	1	
	(16) English	1	0	0	0	1	1	1	1	0	3	
	(17) Asstt. Workshop Supdt.	1	0	1	2	4	3	1	1	0	5	
5	Librarian	2	2	1	2	7	0	0	0	0	0	
6	Physical Training Instructor.	2	1	1	1	5	0	0	0	0	0	
7	Programmer	1	0	0	2	3	1	2	1	0	4	

SCHEDULE-III

(*See* rule-6)

Sl. No. (1)	Name of Department (2)	Name of Post (3)	Duty posts which are already filled by Government. (4)	Duty post which have been transferred to societies (5)	Percentage of Posts to be filled by society through direct selection (6)	Remarks (7)
	Technical Education & Training					
1		**Principal**	1	3	100	
2		**Professor**				
		(1) Civil Engg.	0	10	100	
		(2) Mechanical Engg.	0	11	100	
		(3) Electrical Engg.	0	11	100	
		(4) Applied Mechanics	0	1	100	
		(5) Electronics Engg.	0	5	100	
		(6) Information Technology	0	1	100	
		(7) Comp. Sc. & Engg.	0	1	100	
		(8) Production Engg.	0	1	100	
		(9) Chemical Engg.	0	1	100	
		(10) Physics	0	3	100	
		(11) Chemistry	0	3	100	
		(12) Mathematics	0	3	100	
		(13) Comp. Application	0	3	100	
		(14) Training and Placement Officer.	0	2	100	
2A		Reader to be placed as Professor under career advancement scheme of AICTE.	All posts mentioned in serial number-3			For the purpose of placement as Professor procedure laid down in Note-2 will be followed.
3		**Reader**				
		(1) Civil Engg.	6	16	100	
		(2) Mechanical Engg.	13	9	100	
		(3) Electrical Engg.	6	13	100	

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(4) Applied Mechanics	4	2	100	
	(5) Electronics Engg.	4	14	100	
	(6) Information Technology	0	1	100	
	(7) Comp. Sc. & Engg.	0	1	100	
	(8) Production Engg.	0	2	100	
	(9) Chemical Engg.	1	2	100	
	(10) Physics	0	4	100	
	(11) Chemistry	0	3	100	
	(12) Mathematics	0	7	100	
	(13) Comp. Application	0	5	100	
	(14) Engg. Chemistry	1	0	100	
	(15) Geology	1	0	100	
	(16) Workshop Supdt.	0	4	100	
	(17) Training and Placement Officer.	0	2	100	
	(18) System Analyst	0	2	100	
	Lecturer to be placed as Reader under career advancement scheme of AICTE.	All posts mentioned in serial number-4			For the purpose of placement as Reader procedure laid down in Note-3 of schedule-III will be followed.
	Lecturer				
	(1) Civil Engg.	21	6	100	
	(2) Mechanical Engg.	29	9	100	
	(3) Electrical Engg.	20	12	100	
	(4) Applied Mechanics	1	2	100	
	(5) Electronics Engg.	16	16	100	
	(6) Information Technology	0	3	100	
	(7) Comp. Sc. & Engg.	0	8	100	
	(8) Production Engg.	0	2	100	
	(9) Chemical Engg.	5	2	100	
	(10) Physics	7	14	100	
	(11) Chemistry	9	9	100	
	(12) Mathematics	8	13	100	
	(13) Comp. Application	2	6	100	
	(14) Engg. Chemistry	0	2	100	
	(15) Geology	3	1	100	
	(16) English	1	3	100	
	(17) Asst. Workshop Supdt.	4	5	100	
	Lecturer-Senior Grade	All posts mentioned in serial number-4			For the purpose of placement as Lecturer Senior Grade procedure laid down in Note-5 of schedule-III will be followed.
	Lecturer-Selection Grade	All posts mentioned in serial number-4			For the purpose of placement in Lecturer Selection Grade procedure laid down in Note-6 of schedule-III will be followed and for placement as Reader from the post of Lecturer Senior Grade the procedure laid down in Note-3 of the Schedule-III will be followed.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5		Librarian	7	0	100	
5A		Librarian-Senior Grade	All posts mentioned in serial number-5			For the purpose of placement in Librarian Senior Grade procedure laid down in Note-6 of schedule-III will be followed.
5B		Librarian-Selection Grade	All posts mentioned in serial number-5			For the purpose of placement in Librarian Senior Grade procedure laid down in Note-7 of schedule-III will be followed.
6		Physical Training Instructor.	5	0	100	
6A		Physical Training Instructor-Senior Grade.	All posts mentioned in serial number-6			For the purpose of placement in Physical Training Instructor Senior Grade procedure laid down in Note-8 of schedule-III will be followed.
6B		Physical Training Instructor-Selection Grade.	All posts mentioned in serial number-6			For the purpose of placement in Physical Training Instructor Selection Grade procedure laid down in Note-9 of schedule-III will be followed.
7		Programmer	3	4	100	

Career Advancement.—All placements of the teachers in career advancement will be on 'in-situ' basis and that will be over and above the sanctioned strength of a particular cadre.

Note-1.—At the time of recruitment as Lecturer, four and two advance increments will be admissible to those of the science/humanities faculty who hold Ph.D. and M.Phil. Degrees respectively; and to those of the technical faculty who hold Ph.D. and M.E./M.Tech. degrees respectively.

Note-2.—A Reader having minimum 8 years of experience will be eligible for placement as professor, if he has :—

1. Ph.D. Degree,
2. published minimum 4 research papers,
3. attended 4 National/International Seminars/Winter Schools or Short-Term Courses of not less than 4 weeks,
4. participated in Continuing Education Programmes/Curriculum Development Programmes,
5. Consistently good records for the last 5 years.

Note-3.—A lecturer working as senior scale lecturer will eligible for placement as reader, if he has :—

1. completed 5 years in Senior Scale on 1st January of the selection year,

2. Ph.D. degree.

3. attended Winter/Summer Schools/Short-term Continuing Education Cources of not less than four weeks, after placement in senior scale.

4. consistently good records for the last five years.

Note-4.—A lecturer working as senior scale lecturer will be eligible for placement in selection grade, if he has :—

1. completed five years in senior scale on 1st January of the selection year,
2. participated in Winter/Summer Schools/Short-term Courses of not less than 4 weeks after placement in senior scale.
3. consistently good records for the last 5 years.

Note-5.—A lecturer will be eligible for placement in senior scale, if he has :—

1. completed 6 years of service on 1st January after regular selection as lecturer, with relaxation of one year and two years respectively, for those with M. Phill, M. E./M. Tech and Ph.D.,
2. attended Summer/Winter Schools/Short-Term Courses/Continuing Education Programmes of not less than 4 weeks,
3. consistently good records for the last 3 years.

Note-6.—A Librarian will be eligible for placement in senior scale, if he has :—

1. completed 6 years of service on 1st January after regular appointment with relaxation as prescribed by the AICTE.
2. attended Refresher Courses/Winter/Summer Schools/Short-term Courses/Continuing education programmes of not less than four weeks duration.
3. consistently good records for the last 3 years.

Note-7.—A Librarian working in senior scale will be eligible for placement in selection grade, if he has :—

1. completed 5 years of service in senior scale,
2. obtained a Ph. D. degree or has an equivalent published work,
3. attended Refresher Courses/Winter/Summer Schools/Short-term Courses/Continuing education programmes of not less than four weeks duration, after placement in senior scale,
4. consistently good records for the last 5 years.

Note-8.—An Instructor of physical education will be eligible for placement in senior scale, if he has :—

1. completed 6 years service on 1st January after regular appointment with relaxation as prescribed by the AICT,
2. attended Refresher Courses/Winter/Summer Schools/Short-term Courses/Continuing education programmes of not less than four weeks duration,
3. consistently good records for the last 3 years.

Note-9.—An Instructor of physical education working in senior scale will be eligible for placement in selection grade, if he has :—

1. completed 5 years of service in senior scale,
2. obtained a Ph. D. degree or has an equivalent published work,
3. attended Refresher Courses/Winter/Summer Schools/Short-term Courses/Continuing education programmes of not less than four weeks duration, after placement in senior scale,
4. consistently good records for the last 5 years.

Note-10.—For placement in Lecturer Senior Scale/Selection Grade, Lecturer to Reader and from Reader to Professor, the posts held will be upgraded by a selection committee whose members will be :

For teacher appointed by the Government

1.	Secretary, Technical Education and Training	Chairman
2.	Director, Technical Education	Member
3.	Two Principal of Autonomous Engineering Colleges	Member
4.	Representative of SC/ST	Member

For teachers appointed by the Society

1.	President of Board of Governors	Chairman
2.	Director, Technical Education or his nominee not below the rank of Joint Director.	Member
3.	Vice-Chancellor of university to which the Institution is affiliated	Member
4.	Representative of SC/ST.	Member
5.	Principal of the Concerned Institution.	Member-Secretary

SCHEDULE-IV

[*See* rule-7 (2)]

Name of Department (1)	Name of the Post (2)	Mimimum Age (3)	Maximum Age (4)	Educational Qualification & Experience (5)	Remarks (6)
Technical Education & Training	1. Principal		60 Years	1. Ph.D. Degree (with first class Degree at Masters level). 2. 15 years experience in Teaching/Industry/Research out of which 5 years must be at the level of Professor. **Desirable** : An experience of managing Educational Institutions.	
	2. Professor (Engineering & TPO)		58 Years	1. Ph.D. degree with first class degree at Masters level in the appropriate branch of Engineering/Technology. 2. 10 Years experience in Teaching/Industry/Research out of which 5 years must be at the level of Reader and/or equivalent.	
	3. Professor (Science)		58 Years	1. Ph.D. degree with first class degree at Master level in the relevant subject of Science. 2. 10 Years experience in Teaching/Industry/Research out of which 5 years must be at the level of Reader and/or equivalent.	